रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. ... Date ...

सं॰ 223] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1996/पौष 6, 1918
No. 223] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1996/PAUSA 6, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 389 (पी. एन.)/92-97

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1996

फाइल सं. आई. पी. सी./4/5/(268)/92-97.—यथा संशोधित, निर्यात और आयात नीति 1992-97 के पैरा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च,1996) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अध्याय-5 में पैरा-78 के बाद नया पैरा-78 क को जोड़ा जाएगा :—

"पोत मरम्मत यूनिटों/पोत निर्माण उद्योग की आवश्यकताएं 78-क(1) पोत निर्माण के संबंध में प्रयोग के विशेष उद्देश्य हेतु आवश्यक किसी मद और जिसे निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित दर्शाया गया है, वास्तविक उपयोक्ता शर्त के तहत पोत निर्माण में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों द्वारा बिना आयात लाइसेंस के आयात किया जा सकता है।

(2) पोत मरम्मत के संबंध में प्रयोग के विशेष उद्देश्य हेतु आवश्यक किसी मद और जिसका आयात, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरणों में प्रतिबंधित दर्शाया गया है, पोत मरम्मत यूनिटों द्वारा वास्तविक उपयोक्ता शर्त के तहत बिना आयात लाइसेंस के आयात किया जा सकता है, जो महानिदेशक (शिपिंग), मुम्बई (सीमाशुल्क परिसरों में कार्यरत) के पास बाकायदा पंजीकृत हों, इसके अलावा ये आयात इस

संबंध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई शर्तों के तहत होगा।

(3) पोत निर्माण और/अथवा पोत मरम्मत के संबंध मे प्रयोग के विशेष उद्देश्य हेतु आवश्यक ऐसी मदों के मामले में, तथा जिनका आयात प्रतिबंधित दर्शाया गया है, लेकिन, जो निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में दर्शाई गई नीति के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) के मद्दे आयात के लिए अनुमत हैं, उन्हें एस आई एल (विशेष आयात लाइसेंस) के बिना उपर्युक्त अनुसार पोत निर्माण/पोत मरम्मत उद्योग द्वारा आयात किया जा सकता है।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLC NOTICE NO. 389 (PN)/92-97

New Delhi, the 27th December, 1996

File No. IPC/4/5/(268)/92–97.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97, as amended, the Derector General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1), 1992-97 (Revised Edition : March, 1996) :

In Chapter V, after paragraph 78, the following new paragraph 78A shall be added as under :

"Requirements of ship repairing units/ship building industry.

78A (i) Any item required for the specific purpose of use in connection with ship building and the import of which has been shown as restricted in the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be imported without an import licence by the industrial undertakings engaged in ship building subject to Actual User condition.

(ii) Any item required for the specific purpose of use in connection with ship repairing and the import of which has been shown as restricted in the ITC (HS) Classifications of Export & Import Items may be imported without an import licence by ship repairing units, duly registered with the Director General (Shipping), Mumbai (workng in Customs bonded premises), subject to Actual User condition and also subject to such conditions as may be notified by the Department of Revenue from time to time in this regard.

(iii) In the case of such items required for the specific purpose of use in connection with ship building and/or ship repairing, and the import of which has been shown as restricted, but, which are permitted to be imported against Special Inport Licence (SIL) as per the policy indicated in the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, the same may be importable by the ship building/ ship repair industry as above, without condition of SIL."

2. This issues in public interest.

S. B. MOHAPATRA, Director General of Foregin Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 1996